

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा



अधीकारी- नरेश कुमार शर्मा  
आई0ए0एस0

क्र. नं. 80/2017

एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में एयू0 फाईनेन्सर्स(इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19 -ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, अजमेर-302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है।  
...प्रार्थी

बनाम

श्री कमलेश कुमार जांगिड पुत्र श्री घासी लाल जांगिड पता: 374, खाती मोहल्ला, बैंक रोड, तहसील लालसोट, जिला दौसा राजस्थान 303503  
पता:- ग्राम खटवा, ग्राम पंचायत खटवा पंचायत समिति-लालसोट जिला दौसा राजस्थान 303503 वगैरह

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

संदर्भ में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एयू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर राजस्थान ने अप्रार्थी श्री कमलेश कुमार जांगिड वगैरह को 4,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी की ओर से श्री प्रकाश चंद जैन व श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा अधिवक्ता उपस्थित। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2000** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति श्री कमलेश कुमार जांगिड पुत्र श्री घासी लाल जांगिड की सम्पत्ति संकल्प संख्या-08, ग्राम खटवा, ग्राम पंचायत खटवा, पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी कुल माप लगभग 272.22 वर्ग गज है। जो श्री कमलेश कुमार जांगिड पुत्र श्री घासी लाल जांगिड के नाम से है, का कब्जा रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फौसले शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक: 08 जनवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया



(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा